राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प.6()आ0कृ0/गु0नि0/2015–16/13524–13642 दिनांक :– 1/03/16

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (समस्त)
2. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड (समस्त)
3. परियोजना निदेशक कृषि (विस्तार), सीएडी, कोटा
4. उप निदेशक कृषि विस्तार आईजीएनपी, बीकानेर।
5. उप निदेशक कृषि (विस्तार),जिला परिषद (समस्त) ।

विषयः–आगामी खरीफ मौसम में कृषकों को उत्तम गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति के क्रम में।

वर्तमान कृषि प्रणाली में अधिक उत्पादन प्राप्त किये जाने हेतु कृषकों को उत्तम गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति विशेष महत्व रखती है। राज्य के कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाये जाने के लिये बहुआयामी प्रयास किये जा रहें है जिसके फलस्वरूप उन्नत बीजों का उपयोग प्रतिवर्ष बढ रहा है।

फसल मौसम पूर्व कृषकों की बीज मांग में वृद्धि होने पर कतिपय व्यवहारियों द्वारा अधिक मुनाफा कमाये जाने के मध्यनजर निम्न गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति किये जाने की संभावना बनी रहती है जिससे कृषकों के उत्पादन पर विपरीत असर पडता है।

अतः आगामी खरीफ मौसम में कृषकों को उत्तम गुणवत्ता के बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के लिये समस्त बीज आपूर्ति संस्थाओं/विक्रेताओं को कठोर निर्देश प्रदान किये जावें कि किसानों को अमानक/निम्न गुणवत्ता के बीजों का बेचान नहीं किया जावे।

इस क्रम में जिले में कार्यरत समस्त बीज विक्रेताओं की एक बैठक फसल मौसम पूर्व जिला कलैक्टर की अध्यक्षता में आयोजित करवाई जाकर उनको पाबन्द किया जावे कि आगामी खरीफ मौसम से यदि कोई विक्रेता निम्न गुणवत्ता के बीजों का बेचान करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बीज अधिनियम 1966/नियम 1968/बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत सख्त कार्यवाही की जावेगी साथ ही आईपीसी की धाराओं के अन्तर्गत धोखाधडी का मामला भी दर्ज कराया जावेगा।

अतः कृषकों को उत्तम गुणवत्ता के कृषि आदान उपलब्ध कराये जाने हेतु खरीफ मौसम पूर्व समस्त तैयारियां/कार्यवाही कर प्रगति से आयुक्तालय को अवगत कराने की सुनिश्चितता करावें।

(डॉ0 नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन
सचिव कृषि, राजस्थान

क्रमांकः–प.6()आ0कृ0/गु0नि0/2015–16/13524–13642 दिनांक :– 1/03/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि राजस्थान, जयपुर।
3 निजी सचिव, आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव कृषि, राजस्थान, जयपुर को उनके यू. ओ. नोट क्रमांक 1561–65 दिनांक 29.02.2016 की पालना के क्रम में।
4 जिला कलैक्टर समस्त।
5 अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान/अनुसंधान) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
6 संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
7 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
8 सहायक जन सम्पर्क अधिकारी कृषि आयुक्तालय, जयपुर।

1.03.16

(के. सी. मीना)
संयुक्त निदेशक कृषि (गु0 नि0)